



सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
भारत सरकार

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

वर्ष 2024 - 25 के लिए

एससी तथा अन्य लाभवंचित समूहों के छात्रों हेतु

# मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की घोषणा करता है।

### पात्रता

#### घटक - I

- एससी वर्ग से संबंधित छात्र
- माता - पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए

#### घटक - II

- छात्र जिनके माता-पिता/ अभिभावक सफाई तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत है
- कोई आय सीमा पात्रता नहीं है

### कार्य क्षेत्र

- मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र
- लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा
- सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता

- मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा I से कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र
- लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा
- सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता

### छात्रवृत्ति

- प्रतिवर्ष 3500/- रुपए से 7000/- रुपए का अकादमिक भत्ता
- दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

- प्रतिवर्ष 3500/- रुपए से 8000/- रुपए का अकादमिक भत्ता
- दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

- छात्र अपने संबंधित राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करें
- छात्र के पास वैध मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।



- योजना के दिशा-निर्देश तथा विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।

<http://socialjustice.gov.in/schemes/23>

